छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 674/2007</u>

1. **श्री दूधनाथ सतनामी,** – *अपीलार्थी*
कातुलबोड़, वार्ड नंबर-57,
पोस्ट-आर0एस0एस0, एफ लाईन, भिलाई
जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** – ***प्रति अपीलार्थी***
कार्यालय छ0ग0 पुलिस मुख्यालय,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 13 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री दूधनाथ सतनामी द्वारा जन सूचना अधिकारी, कार्यालय पुलिस मुख्यालय, रायपुर के समक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 26.02.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नही होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 04.04.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई और वहॉं से भी निराकरण नही होने के कारण उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 05.07.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा कुछ और अपीले भी प्रस्तुत की गई है, जिनका कमांक 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 तथा 108/2008 है । वर्तमान अपील से संबंधित आवेदन को पुलिस मुख्यालय ने सेनानी, प्रथम बटालियन, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल एवं पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल दोनो को हस्तांतरित किया गया था और बाद में प्रस्तुत यह आठ अपील पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के विरूद्ध ही की गई है । वर्तमान प्रकरण में सेनानी, प्रथम बटालियन, छ0ग0 सशस्त्र बल को पंद्रह हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया । प्रकरण में उल्लेखनीय बात यह है कि अपीलार्थी छ0ग0 सशस्त्र बल के उक्त बटालियन का बर्खास्तगीशुदा आरक्षक है और गरीबी रेखा का कार्ड लगाकर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लगा रहा है तथा उनके द्वारा अपनी बर्खास्तगी के विरूद्ध अथवा दावों के संबंध में मा0 उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर रखी है । प्रकरण में तर्को में यह भी

स्पष्ट हुआ कि अपीलार्थी द्वारा बहुत विस्तृत जानकारियॉं मॉंगी गई है और जब उसे जानकारियॉं दी जाती है तो लेने से इंकार करता है तथा अवलोकन के लिए बुलाने पर कार्यालय में उपस्थित नही होता है । दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे को असहयोग करने के आरोप भी लगाये गये हैं । अपीलार्थी को यह निर्देश दिये गये थे कि उक्त रिकार्ड का नि:शुल्क अवलोकन कर लें और तत्पश्चात् सूची दें, किन्तु अपीलार्थी निरीक्षण करने नही गया तथा अपीलार्थी कहता है कि उसे जाने पर भगा दिया गया । प्रकरण से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का मुख्य उद्देश्य अपनी बर्खास्तगी का बदला लेने के लिए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को परेशान करना है और वह निश्चित रूप से सूचना का अधिकार का दुरूपयोग कर रहा है और आयोग किसी भी व्यक्ति को सूचना का अधिकार का दुरूपयोग करने की अनुमति नही दे सकता । अत: इनके सभी प्रकरणों में यह आदेश दिया जाना पर्याप्त होगा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र बल, अपीलार्थी को अपने कार्यालय में बुला लें और सेनानी, प्रथम बटालियन के यहॉं से अथवा पुलिस महानिरीक्षक, छ0ग0 सशस्त्र बल के यहॉं से, जो भी संबंधित रिकार्ड हो, उसके साथ जन सूचना अधिकारी को अपने कार्यालय में बुलाया जाकर एक तारीख निश्चित करके उससे संबंधित रिकार्ड का नि:शुल्क निरीक्षण करा दिया जावे और उसके बाद अपीलार्थी से सूची ली जावे और केवल राशि 100/- रूपये तक अर्थात् 50 पृष्ठों तक की जानकारी उसे नि:शुल्क प्रदान की जावे यदि उससे अधिक राशि की जानकारी चाहे तो अपीलार्थी से शुल्क जमा कराके उसे दी जावे । प्रकरण में चूंकि अपीलार्थी ने स्वयं जानकारी लेने से इंकार किया है, अत: ऐसी स्थिति में शास्ति आरोपित किये जाने की कोई आवश्यकता नही है, अत: शास्ति के लिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है । इसी प्रकार अपीलार्थी द्वारा दिखाये गये रवैये के कारण उसे क्षतिपूर्ति दिये जाने की आवश्यकता नही है । साथ ही अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को यदि विभाग की ओर से कोई देय राशि हो तो उनके दावों का शीघ्र निराकरण किया जाकर उन्हें 15 दिवस के अन्दर देय राशि का भुगतान कराया जाना भी सुनिश्चित किया जावे । अपीलार्थी अपनी बर्खास्तगी से असंतुष्ट है तथा उन्होंने अन्य न्यायालय में याचिकायें और वाद भी दायर किये हैं, अत: उनका निराकरण वहॉं से ही होगा, किन्तु विभागीय अधिकारियों के यहॉं उसका अभ्यावेदन अथवा विभागीय अपीलें लंबित हो तो उनका भी एक माह के अन्दर निराकरण सुनिश्चित किये जाने के निर्देश अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, सशस्त्र बल को दिये जाते हैं । जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलों की पृथक-पृथक सुनवाई के समय यह आश्वासन दिया गया था कि उनको दिये जाने योग्य सभी जानकारियॉं तैयार है और अपीलार्थी को दे दी जावेगी, यदि उक्त जानकारियॉं अभी तक अपीलार्थी को नही दी गई हो तो उपरोक्त निर्देश के अधीन अब 15 दिवस के अन्दर उन्हें प्रदान की जावे ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है । यह आदेश समान पक्षकार तथा समान तर्क व परिस्थितियॉं होने के कारण अपील क्रमांक 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 तथा 108/2008 पर भी लागू होगा ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त